



झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI


कक्षा ग्यारहवीं की परीक्षा, 2024 (सत्र 2023-25) में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं के पंजीयन संबंधी डाटा में आवश्यक संशोधन करने से संबंधित दिशा-निर्देश

कक्षा ग्यारहवीं परीक्षा, 2024 (सत्र 2023-25) हेतु ऑनलाइन जमा किए गए पंजीयन में आवश्यक सुधार के लिए अन्तिम अवसर प्रदान की जा रही है। +2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय द्वारा संशोधन की कार्रवाई परिषद् के वेबसाइट www.jac.jharkhand.gov.in/jac/ के माध्यम से ऑनलाइन की जाएगी। निम्नवत् प्रक्रिया अनुपालन कर वांछित संशोधन किया जा सकता है :-

- Step-1** → सर्वप्रथम छात्र परिषद् के वेबसाइट पर Correction संबंधी Tab पर Click कर Student login करेंगे, जिससे वे अपने Information sheet का अवलोकन कर सकते हैं।
- Step-2** → यदि छात्र, Information sheet के अवलोकन के बाद वांछित संशोधन की आवश्यकता महसूस करते हैं तो Information sheet में नीचे दिए गए Yes option को select कर submit करेंगे।
- Step-3** → Information sheet को Submit करने के बाद उसका प्रिन्ट निकाल कर आवश्यक संशोधन के लिए अपने +2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय में जमा करेंगे।
- Step-4** → छात्र/छात्राओं द्वारा Correction के लिए +2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय में जमा किए गए Information sheet के आलोक में वांछित संशोधन के लिए Correction portal पर +2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय को School login करना होगा।
- Step-5** → जो छात्र/छात्राएँ Correction करने के लिए अनुरोध किये होंगे, अर्थात् जिनके द्वारा Student login के Information sheet में Yes का option choose किया गया होगा, उनके डाटा के सामने View & Modify का option मिलेगा। उस पर click कर संबंधित छात्र/छात्रा का संबंधित संशोधन किया जा सकता है।
- Step-6** → वांछित संशोधन करने के बाद नीचे Approve/Submit का Tab उपलब्ध होगा, जिसे Click कर संशोधन की प्रक्रिया +2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय द्वारा पूरी की जाएगी।

नोट :- (1) जिन छात्र/छात्राओं द्वारा Student login में YES का Option का चुनाव नहीं किया गया होगा, उस +2 विद्यालय/इंटर महाविद्यालय को School login में उस छात्र/छात्रा के डाटा के सामने View & Modify का Option नहीं मिलेगा, अतः संशोधन के लिए छात्र/छात्राओं को Student login कर Examinee Information sheet में YES के Option का चुनाव करना आवश्यक होगा।

(2) संशोधन Approve करने के उपरान्त उसे प्रिन्ट कर परिषद् कार्यालय में दिनांक 06.01.2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा कृत संशोधन पर विचार नहीं किया जा सकेगा।


Principal

Intermediate Section
St. Xavier's College
Ranchi